क्रेडिट कार्ड का बीमा

﴿ التأمين على البطاقة الائتمانية ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ التأمين على البطاقة الائتمانية ﴾

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

क्रेडिट कार्ड का बीमा

प्रश्नः

यदि हम क्रेडिट कार्ड जैसे कि वीज़ा, या मास्टर कार्ड लेना चाहें तो उस का बीमा करवाना अनिवार्य है ताकि अगर उस की चोरी हो जाये या उस के माध्यम से कोई दूसरा आदमी पैसे चोरी कर ले तो बीमा कंपनी के पास उस की गारंटी रहे।

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

यह बीमा हराम है, जाइज़ नहीं है। यह निषिद्ध जुआ का एक रूप है, जिसे अल्लाह तआला ने अपनी पवित्र पुस्तक में हराम घोषित किया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ﴾ [المائدة: ٩٠]

"ऐ ईमान वालो! नि:सन्देह शराब, जुआ, थान और पाँसे के तीर गन्दे और शैतानी काम हैं, अत: तुम इन से बचो ताकि तुम्हें सफलता मिले।" (सूरतुल माइदा : 90)

बीमा कंपनी बीमा की राशि लेती है, अगर कार्ड की चोरी हो गई तो वह चोरी की गई राशि की गारंटी देती है, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वह पैसे खा जाती है।

और चोरी होगी या नहीं होगी यह चीज़ अज्ञात है, तथा यदि कार्ड की चोरी हो गई तो कितनी राशि (पैसे) की चोरी होगी यह चीज़ भी अज्ञात है, इस प्रकार यह धोखा धड़ी और स्पष्ट अज्ञानता है।

और उन लोगों का (अर्थात बीमा कंपनी का) कुछ भी न होने की स्थिति में पैसे को खा जाना वास्तव में लोगों की संपत्ति को अवैध ढंग से खाना है, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ ﴾ [النساء: ٢٩]

"हे ईमान वालो (विश्वासियो)! तुम आपस में अपनी संपत्ति को अवैध ढंग से न खाओ, लेकिन यह कि तुम्हारी आपसी सहमति से एक व्यापार हो।" (सूरतुन निसा : 29)

इस के अतिरिक्त, अधिकांश क्रेडिट कार्डों में सूदखोरी की और दूसरी हराम (निषिद्ध) शर्तें पाई जाती हैं।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर